

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर

व इजलास- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

शंकरलाल

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या :- 225/2025

--::आदेश::--

दिनांक:- 13/5/25

प्रार्थी शंकरलाल पुत्र श्री चौथाराम जाति मेघवाल निवासी रामनगर कलां तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि राजस्व ग्राम रामनगर कलां की जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 के खाता सं. 59 के खसरा नंबर 62 में दर्ज अशुद्ध नाम शंकरराम पुत्र चौथाराम जाति मेघवाल निवासी रामनगर कलां का शुद्ध नाम शंकरलाल पुत्र श्री चौथाराम जाति मेघवाल निवासी रामनगर कलां की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट का स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।



मृदुला शेखावत  
उपखण्ड अधिकारी,  
बिलाडा